भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AA 138470

शपथपत्र का पृष्ठ भाग

नोटरी
राजेन्द्र निगम
एडवोकेट
झाँसी
Regd 4701/1
उत्तर प्रदेश सरकार (भारत)

6.3.14

d:\word file\summary revision-2013-2014----.doc,88

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AA 138470

शपथपत्र का पृष्ठ आखरी

नोटरी
राजेन्द्र निगम
एडवोकेट
झाँसी
Regd 47/01/14
उत्तर प्रदेश सरकार (भारत)

6.3.14

d:\word file\summary revision-2013-2014----.doc,88

06

प्ररूप–26

(नियम 4क देखिए)

...झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

भाग – क

मैं अच्छे लाल सिंह जाटव **पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ स्व० श्रीरामसहाय आयु 63 वर्ष, जो ग्राम-[illegible] पो० [illegible] त० मोंठ जि० झांसी 285205 (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(i) मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी में (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जा लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 225 गरौठा (उ०प्र०) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 19 के क्रम सं० 337 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 9935682671 हैं/है और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) नही हैं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति

क्रम सं०	नाम अच्छे लाल सिंह जाटव	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं अच्छेलाल सिंह जाटव	पैन कार्ड आवेदन की रसीद संलग्न	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी लागू नही अविवाहित	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित–1 लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित–2 लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित–3 लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसी किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

Acchey Lal

[illegible]

d:\mlc election 2014\mlc election-2014.doc,29

प्ररूप–26

(नियम 4क देखिए)

इलाहाबाद–झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

भाग – क

मैं अच्छे लाल सिंह जाटव **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व० श्री रामसहाय आयु 63 वर्ष, जो ग्राम-धीरपुरा पो० लोहागढ़ त० मोंठ जि० झांसी 285205 (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(i) मैं एक स्वतंत्र अभ्यर्थी में ....(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी

**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जा लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 225 गरौठा (उ० प्र०) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 19 के क्रम सं० 337 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नं० 9935682671 हैं/है और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) नही हैं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति

क्रम सं०	नाम अच्छे लाल सिंह जाटव	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं अच्छेलाल सिंह जाटव	पैन कार्ड आवेदन की रसीद संलग्न	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी लागू नही अविवाहित	शून्य	शून्य	शून्य
3	आश्रित–1 लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य
4	आश्रित–2 लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य
5	आश्रित–3 लागू नही	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ड)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(5) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

राजेन्द्र निगम नोटरी Regn 47/01/74

6-3-14

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य
(ख)	सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ड)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किये गये थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43)) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

राजेन्द्र निगम Rege 47/01/74 उत्तर प्रदेश सरकार

6-3-14

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	30,000/- (तीस हजार रु०)	जानकारी नहीं अविवाहित	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	पंजाब नेशनल बैंक लोहागढ़ जि० [illegible] A/c No. 2274000100039044 जमा राशि 500/- पांच सौ रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कम्पनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :–

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे, प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	30,000/- (तीस हजार)	लागू नहीं अविवाहित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	पंजाब नेशनल बैंक, लोहागढ़ जि० सारण A/c No.-2274000100039044 जमाराशि 500/- पांच सौ केवल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[illegible]

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	30500/- (तीस हजार पांच सौ केवल)				

ख. स्थावार आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	भार नहीं शून्य (अविवाहित)	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोटरी राजेन्द्र निगम एडवोकेट झाँसी Regd 47/01/...

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कम्पनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	30500/- (तीस हजार पांच सौ केवल)				

ख. स्थावार आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	लागू नहीं शून्य (अविवाहित)	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एक में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोटरी राजेन्द्र निगम एडवोकेट झाँसी Regd 47/01/...

(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोटरी राजेन्द्र ... एडवोकेट झाँसी

(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	एक पिता मकान 54A ग्राम [illegible] ७० कां० [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6000 वर्ग फुट का 1/6 1000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	विरासत में आयी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,000/- पचास हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	50000/- पचास हजार केवल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1 का नाम	आश्रित–2 का नाम	आश्रित–3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्यबैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं अविवाहित	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोटरी राजेन्द्र निगम झाँसी Regd 4710

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	एक किता मकान 54A ग्राम [illegible] 70 मो० [illegible]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	6000 वर्ग फुट का 1/6 1000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नही)	विरासत में आयी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	50,000/- पचास हजार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	50,000/- पचास हजार केवल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1 का नाम	आश्रित–2 का नाम	आश्रित–3 का नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्यबैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं अविवाहित	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोटरी ★ राजेन्द्र सिंह ★ एड0 झाँसी Regn 4710

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय–कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगर पालिका / संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

राजेन्द्र निगम
एडवोकेट
झाँसी
Regd. 4710/74

Arish

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय–कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगर पालिका/ संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति का उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं मजदूरी

(ख) पति या पत्नी लागू नहीं (अविवाहित)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :–

एम०कित० बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी वर्ष-2010

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धधरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु0 अच्छे लाल सिंह जाटव
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम - [illegible]पुरा, पो० लोहागढ़ [illegible] [illegible] जि० झाँसी (उ०प्र०)
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	225, गरौठा, उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खडा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं
	(ii) ऐसे मामलो की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलो से भिन्न)	लागू नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागू नहीं

राजेन्द्र निगम एडवोकेट झाँसी Regn 47/01/74 उत्तर प्रदेश सरकार

Asild

d:\mlc election 2014\mlc election-2014.doc,36

(9) वृत्ति का उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं मजदूरी

(ख) पति या पत्नी लागू नहीं (अविवाहित)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :–

एम०कॉम० बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी वर्ष-2010

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धधरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु0 अच्छे लाल सिंह जाटव
2.	डाक का पूरा पता	ग्राम - छीमपुरा, पो० लोहागढ़ त० मोठ थाना - समथर जि० झांसी (उ०प्र०)
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	225, गरौठा, उत्तर प्रदेश
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खडा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं
	(ii) ऐसे मामलो की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलो से भिन्न)	लागू नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक, प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागू नहीं

राजेन्द्र निगम एडवोकेट झाँसी Rege 47/01/74 उत्तर प्रदेश सरकार

Asrib C

.3.14

		पैन का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय–कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	पैन कार्ड आवेदन की रसीद संलग्न	शून्य	लागू नहीं
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)

		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	30,500/– (तीस हजार पांच सौ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख		स्थावर आस्तियां	50,000/– (एक किता मकान/कच्चा पचास हजार रुपये)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		..........................की	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं 50,000/– एक किता मकान 1000/– वर्ग फुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9		दायित्व	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राजेन्द्र सिंह एडवोकेट झाँसी Rege 47/91-17

		पैन का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय–कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	पैन कार्ड आवेदन की रसीद संलग्न	शून्य	लागू नहीं
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)

		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	30,500/– (तीस हजार पांच सौ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख		स्थावर आस्तियां	50,000/– (एक कित्ता मकान) पच्चास हजार रु	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		..........................की	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	– लागू नहीं 50,000/– एक कित्ता मकान 1000/- फीट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9		दायित्व	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

राजेन्द्र कुमार एडवोकेट झाँसी Rege 47/01/77

10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शून्य				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम०बिल० बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी वर्ष-2010 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :–

(क) मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख..को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
टिप्पण : 3 सभी स्तभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोडें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उनमें अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं व्दारा संशोधन किया गया

(1) संख्यांक का आ 728 (अ) तारीख 8 मई, 2007 ।
(2) संयांक का आ 425 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011।

Certified that the deponent before me by Shri .... of whom the contents of the affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri ....
Recd. Rs. 15/- as fee from deponent

RAJENDRA NIGAM
ADVOCATE
KOTARI, JHANSI-DISTRICT

2-3-14

10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	शून्य				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम०फिल० बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी वर्ष-2010 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि :–

(क) मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है ;

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख..को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपरान्ह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नौटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3 सभी स्तभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोडें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल 1961 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उनमें अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया

(1) संख्यांक का आ 728 (अ) तारीख 8 मई, 2007 ।

(2) संयांक का आ 425 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2011।

Certified that ... sworn before me by Shri Achhe Lal ... of whom the contents of the affidavit have been read over and explained and who is identified by Shri ...
Recd. Rs. 15/- as ... fees ...

RAJENDRA NIGAM
ADVOCATE
NOTARY, JHANSI-DISTRICT

2.3.14